

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक : प.7(1)वित्त/कर/2025

जयपुर दिनांक : 02.04.2025

आदेश


इस विभाग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 29.01.2025 द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01-04-2025 की स्थिति के अनुसार अस्थायी (Provisional Seniority List) जारी की जाकर दिनांक 28.02.2025 आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01-04-2025 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची (Final Seniority List) निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	जन्म तिथि	वर्ग	आवंटित वर्ष	विशेष विवरण	सेवानिवृत्ति दिनांक	दिव्यांगजन श्रेणी
1.	अनीता कक्कड़	13.07.68		2018-2019		31.07.28	
2.	पृथ्वीराज मीणा-I	05.08.68	अ0ज0जा0	2019-2020		31.08.28	
3.	हवाई सिंह	15.06.66		2019-2020		30.06.26	
4.	अंजनी कुमार शर्मा	10.08.66		2020-2021		31.08.26	
5.	आदर्श लोहिया	01.07.66	अ0जा0	2020-2021		30.06.26	
6.	रामेश्वर प्रसाद बैरवा	11.07.68	अ0जा0	2020-2021		31.07.28	
7.	किसना राम	01.07.68		2022-2023		30.06.28	
8.	रामनिवास शर्मा	01.07.66		2022-2023		30.06.26	
9.	महेश कुमार गोवला	06.07.65		2022-2023		31.07.25	
10.	प्रेम चन्द वर्मा	17.05.72	अ0जा0	2022-2023		31.05.32	
11.	चन्द्र प्रकाश मीणा	20.01.66	अ0ज0जा0	2023-2024		31.01.26	
12.	राजेन्द्र सिंह	10.04.66		2023-2024		30.04.26	
13.	सुनील खण्डेलवाल	11.09.68		2023-2024		30.09.28	
14.	राजीव कुमार	05.07.67		2023-2024		31.07.27	
15.	महिपाल सिंह	12.11.67		2023-2024		30.11.27	
16.	जय प्रकाश मीणा	09.06.70	अ0ज0जा0	2024-2025		30.06.30	
17.	अखेदान चारण	12.08.66		2024-2025		31.08.26	
18.	विनोद मेहता	05.11.69		2024-2025		30.11.29	
19.	बलवन्त सिंह	05.05.71		2024-2025		31.05.31	
20.	सुरेन्द्र सिंह राठौड़	30.04.69		2024-2025		30.04.29	
21.	महेश कुमार	26.12.68		2024-2025		31.12.28	


उक्त वरिष्ठता मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी. रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी.....।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव